

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला करौली

नं:- 143 / 2021

तारीखरजू:- 22-11-2021

उनवान:- उदयराज बनाम राजेन्द्र


दावा वावत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

क्र

वादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने दावा तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 26.11.21 को प्रशासन गाव के संग अभियान कैम्प कोर्ट माचडी मे पेश हो।

5572-74
22/11/2021



(दुर्गा प्रसाद मीना)
सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली

26-11-21

वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी नं. 1, 3 की ओर से श्री रामभोषी बुढा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो आगे पत्रावली रहे। पं. साहज मीरठ से करौली पचौर है। वास्ते तलबी दिनांक 10-1-22 को पेश हो।

10/11/22 वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 2 के नोटिस तलबी होउर प्राप्त नही हुए वास्ते इंतजार नोटिस तलबी एवं जवाब पेश करने दिनांक 31-1-22 को पेश हो।



31/12

वादी वकील / वकील उमय एक्ष उपस्थित
पोस्टासीन अधिकारी को दिनांक 19.12.21 को पत्रावली गतानुसार दिनांक 2-3-2022 को पेश हो।



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
२.७.२५	<p>पत्तापत्ती पेश हुई। वाडी छप वाडी वकील कोडी उपस्थित नही। बार ३ छाया जा डिपॉजिट वाडी इसके उपरांत भी कोडी उपस्थित नही इसलिये ठसठ डाया वाडी की भद्रम द्वारा मे भद्रम केरवी मे शर्षा किया जाता है, पत्तापत्ती फेशलशुभा ड्यक नरवट से कम कर डाखिल उपलब्ध है।</p> <p style="text-align: center;">(६)</p>

न्यायालय श्रीमान
य पक्ष का नाम

नाम मय प
दय राग
गिग
१/० नौ वि
जिले -

जब तक उपरोक्त सूचना पत्र समक्ष कर